


अपील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अर्जुनलाल बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या 2026/79	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.26	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण का दौराने बहस कथन रहा है कि प्रकरण में पक्षकारान के बीच आपस में राजीनामा हो गया है। इसलिये उक्त उनवानी प्रकरण को अपीलार्थीगण आगे नही चलाना चाहते है तथा लोक अदालत की भावना से खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण की अपील विद्धो किये जाने के कारण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है एवं विद्धो कर खारिज करवाना चाह रहे है। ऐसी स्थिति में अब हस्तगत पत्रावली को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील विद्धो किये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त जयपुर।</p>	